COURT FEE 10 रु. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE 20 रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

70

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2017 जिला सतना

III/अपील/सतना/आ०अ/2017/2721

दिलीप कुमार जायसवाल पुत्र रामगुलाम जायसवाल, निवासी मलाहन टोला गली नम्बर 5 रघुराज नगर जिला सतना (म.प्र.)
—— अपीलार्थी

विरूद्ध

1– दिग्विजय सिंह पुत्र श्री
लायसेंसी एफ–4 विदेशी मदिरा दुकान, सर्किट हाउस, जिला सतना (म.प्र.)

2– मध्यप्रदेश शासन
—— प्रत्यर्थीगण

श्री ... द्वारा आज दि. 21.8.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21.8.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा क्रमांक 7/ठेका/2017/10 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

21.8.17

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा अपीलार्थी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत् अवसर प्रदान किये बिना ही जो आदेश पारित किया है। वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, किसी भी व्यक्ति को आरोपी सिद्ध करने से पूर्व उसे साक्ष्य एवं सुनवाई का विधिवत् एवं पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये। न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा अपीलार्थी को प्रकरण में सुनवाई किये जाने का कोई भी सूचना–पत्र जारी नहीं किया। इस प्रकार उसे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रर्याप्त अवसर दिये बिना ही जो आदेश पारित किया गया है, वह नितान्त, अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

4– यहकि, अपीलार्थी को वर्ष 2017–18 में विदेशी मदिरा दुकान सेमरिया चौक, सतना एफ–2/2017–18 में ली गयी है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विदेशी मदिरा दुकान सेमरिया चौक, सतना जिले की मदिरा दुकानों के निष्पादन बावत् विक्रय ज्ञापन वर्ष 2017–18

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन / अपील / सतना / आबकारी / 2017 / 2721

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
10-11-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी द्वारा यह अपील आबकारी आयुक्त म0 प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 7 / ठेका / 2017-10 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2017 के विरूद्व म0 प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील निगरानी तथा रिव्यु नियमों के पेरा (2) सी की धारा 62 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि दिलीप जायसवाल द्वारा वर्ष 2017-18 में विदेशी मदिरा दुकान सैमरिया चौक एफ-2 / 17-18 वार्षिक मूल्य रूपये 5,25,31,527 / -में ली गई हैं अनुज्ञापित्धारी द्वारा विदेशी मदिरा सैमरिया चौक सतना जिले की मदिरा दुकानों के निष्पादन बावत विकय ज्ञापन वर्ष 2017-18 के परिशिष्ट-1 में उल्लेखित घोषित परिक्षेत्र वार्ड कमांक 23, 24 एवं 42 में कृष्ण नगर नाले के पहले तक एवं एन.एच. 75 से 500 मीटर की दूरी पर आपत्ति रहित स्थान पर दुकान स्थापित किये जाने की अपेक्षा घोषित सीमा क्षेत्र से बाहर जाकर कृष्ण नगर लाने के बाद स्थापित की गई। जिस पर हस्तक्षेपकर्ता श्री दिगिवजय सिंह अनुज्ञप्तिधारी विदशी मदिरा दुकान सर्किट हाउस एफ-4 / 17-18 द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कलेक्टर सतना के पत्र कमांक आब / ठेका / 2017-18 / 650 दिनांक 11.4.17 से विदशी मदिरा दुकान सैमरिया चौक को वर्तमान	

स्थान से हटा कर उसके लिये निर्धारित सीमा क्षेत्र के भीतर पत्र प्राप्ति के 3 दिवस के अन्दर स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके विरूद्व आवेदक द्वारा मान0 उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन कमांक 5952/2017 प्रस्तुत कर विदेशी मदिरा दुकान सैमरिया चौक को यथास्थान पर चलाने हेतु निवेदन किया गया।

3— अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जन आन्दोलन के प्रदर्शन होने के कारण प्रस्तावित स्थल पर दुकान नहीं खोले जाने हेतु आदेशित किया गया। मदिरा दुकान सैमरिया चौक वार्ड कमांक 24 की निर्धारित सीमा में संचालित होना बताया है।

4—उपरोक्त तथ्यों एवं प्रस्तुत अभिलेखों के प्रकाश में एवं स्थानीय परिस्थियों एवं शासकीय राजस्व को सुरक्षित रखने हेतु कलेक्टर आदेश कमांक/आबकारी/ठेका/2017—18/650 दिनांक 11.4.17 एवं आदेश कमांक/आबकारी/ठेका/2017—18/696 दिनांक 22.4.17 में नियमानुसार कोई त्रुटि कलेक्टर द्वारा नहीं की गई है और आबकारी आयुक्त म0प्र0 ग्वालियर द्वारा उनका आदेश स्थिर रखा गया है। अतः आवेदक श्री दिलीप जायवाल का अभ्यावेदन दिनांक 6.7.17 निरस्त किया जाता है। आयुक्त आबकारी म0प्र0 ग्वालियर द्वारा आदेशानुसार वर्ष 2017—18 के वकय ज्ञापन अनुसार निर्धारित सीमा क्षेत्र में आपत्तिरहित स्थल पर विदशी मदिरा दुकान सैमरिया चौक को स्थापित कर संचालन करें।

5—उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त म0 प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 7/ठेका/2017—10 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील समाप्त कर निराकरण किया जाता है।

सदस्य